रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 1983/भाद्र 31, 1905
No. 166] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 1983/BHADRA 31, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मन्त्रालय

(वाणिज्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1983

स 14(18)/82-ई पी जैड —भारत सरकार ने तमिलनाडु में मीनाबक्कम हवाई अड्डे के समीप मद्रास में इस क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने का विनिश्चय किया है । इस परियोजना की मुख्य बातें ये होंगी —

(1) यह पूर्णत निर्यात अभिमुख होगा । इस जोन के एकक्रो से अपने उत्पादन का शत प्रतिशत निर्यात करने की उपेक्षा की जायेगी ।

(2) जोन के एककों को कच्चा माल, संघटक, पूंजीगत उपस्कर आदि आयात करने के मामले में कतिपय सुविधायें, रियायतें दी जायेंगी, जिन्हें अलग से अधिसूचित किया जा रहा है ।

2. यह जोन वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा । जोन का प्रशासन इस उद्देश्य के लिए गठित एक बोर्ड करेगा और समय-समय इसकी प्रगति की समीक्षा अधिशासी निकाय, जिसे प्राधिकरण कहा जायेगा, द्वारा की जायेगी । बोर्ड तथा प्राधिकरण के अधिशासी निकाय की संरचना समय-समय पर अधिसूचित की जाती रहेगी ।

3 सरकार ने इस जोन के लिये एक विकास आयुक्त नियुक्त करने का भी विनिश्चय किया है जो इसके दिन प्रतिदिन के प्रशासन का प्रभारी होगा । विकास आयुक्त की नियुक्ति होने तक वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त व्यापार जोन के प्रभारी संयुक्त सचिव विकास आयुक्त के कार्यों को देखेंगे ।

आनन्द स्वरूप, अपर सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और इसे सभी सम्बन्धों को परिचालित किया जाय ।

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd September, 1983

No. 14(18)/82-EPZ.—The Government of India have decided to set up an Export Processing Zone at Madras, near Meenabakkam Airport in Tamil Nadu, with a view to promoting exports from the region. The main features of this project will be :—

(i) It will be entirely export oriented. The units admitted into the Zone will be obliged to export 100 per cent of their production.

(ii) The units in the Zone will be given certain facilities and concessions in the matter of import of raw materials, components, capital equipments etc. being notified separately.

2. The Zone will be under the administrative control of the Ministry of Commerce. The administration of the Zone will vest in a Board to be set up for the purpose and its progress will be reviewed periodically by the Governing body to be called an Authority. The composition of the Board and of the Governing Body of the Authority will be notified from time to time.

3. Government have also decided to appoint a Development Commissioner for this Zone who will be in charge of its day to day administration. Pending the appointment of the Development Commissioner, Joint Secretary in charge of Free Trade Zones in Ministry of Commerce will perform the function of the Development Commissioner.

ORDER

Ordered that this Resolution be published in the Gazette of India and that it be circulated to all concerned.

ANAND SARUP, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1983